परिशिष्ट

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर–वन उद्देश्यों हेतु विपथनके लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र ।

प्रपत्र क

(पैरा 2.2(1) देखें)

(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना विवरण :
   (1) **नेहरूपुरा से झिरि** :– नेहरूपुरा से झिरि को जोडने हेतु इससे कम दूरी का अन्य रास्ता नहीं है। यह सडक वन क्षेत्र से गुजरती है।

   (2) वांछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)
   - क. स्थान सर्वे संख्या / कम्पार्टमेंट संख्या –
   - ख. क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में) – **4.00 हेक्टेयर**
   - ग. वन मण्डल – बारां
   - घ. 1:50,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि को नक्शे पर दिखाएं।

2. प्रस्तावित भवन / गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग–अलग विवरण।

3. प्रस्तावित वन भूमि के अनारक्षण के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसमें अनुरक्षण या दण्ड़ प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जो कि नियमानुसार होगी, निर्धारित की जावेगी, उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग देने को तैयार होंगे।

4. ग्राम सभा की संस्तुति–स्वीकृत / अस्वीकृत

यूजर एजेंसी हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

तिथि ....

स्थान ....

(बडे अक्षरों में नाम) .... एस० एस० मीना

पता .... अधिशाषी अभियन्ता सा०नि०वि०खण्ड शाहाबाद

प्रस्ताव की क्रम संख्या ....

(रेंज वन अधिकारी द्वारा प्राप्ति तिथि के साथ भरा जाएगा)

वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
ग्राम सेवक	पटवारी हल्का	वनपाल
सचिव ग्राम पंचायत ... पं०स० किशनगंज		नाका ... जिला बारां

E:\Edit (2)\Performas\परिशिष्ट (प्रपत्र क) K-(1)

(पंचायती राज नियम 4 व 164)

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

ग्राम पंचायत/न्याय उप-समिति छत्रगंज   पंचायत समिति किशनगंज   जिला बारां

होने की तारीख	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
				शीघ्र - अतिशीघ्र आरम्भ कराने का प्रस्ताव [illegible] सड़क निर्माण एवं [illegible] करने में किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है।	[illegible]
				प्रस्ताव सं.-5 कोरम द्वारा प्रस्ताव लिया गया कि सड़क निर्माण मंडोली से [illegible] तक करवाया जाए। वन भूमि से गुजर रही सड़क [illegible] में बन्द है अतः कोरम द्वारा वन भूमि में निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया। सड़क निर्माण में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है सड़क निर्माण कार्य वन [illegible] क्षेत्र में होने से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है	रामलाल
				प्रस्ताव सं.-5 ग्राम सभा में कोरम द्वारा सड़क निर्माण [illegible] से [illegible] तक कराने का प्रस्ताव वन भूमि में सड़क निर्माण हेतु सम्मति से लिया गया। सड़क निर्माण की बहुत आवश्यकता है अतः किसी भी सदस्य [illegible] में सड़क निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है	[illegible]
				प्रस्ताव सं.-6 ग्राम सभा के कोरम द्वारा सड़क निर्माण [illegible] से हरिपुरा [illegible] वन क्षेत्र से गुजर रही है [illegible] सड़क निर्माण से किसी भी सदस्य को कोई भी आपत्ति नहीं है	मनमोहन

सरपंच
ग्राम पंचायत छत्रगंज
पं०स० किशनगंज

ग्राम पंचायत छत्रगंज
पं०स० किशनगंज

(देखिये नियम 4 व 164)

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

ग्राम पंचायत/न्याय उप-समिति हतरांज पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
9/10/2014	राजकीय उ. प्रा. वि. हतरांज	श्री ओमप्रकाश मीणा		आज दिनांक 9-10-2014 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक [illegible] बारां के आदेश क्रमांक MGNREGA/ मा.ए. डेस्क/ 2014-15/ 1670-1890 दिनांक 8/8/2014 के आधार पर किया गया। निम्न प्रस्ताव लिये गए। ग्रा.प. हतरांज में नवीन कच्चे कार्य हुए जिनपर होने वाले कुल खर्च निम्न है	चौथमल मेहता

क्र.स.	कार्य का नाम	व्यय
1	तलाई खुदाई सरकेला हतरांज	30942
2	महादेव की बावड़ी के पास नाले पर तलाई निर्माण मय वाटरबियर निर्माण	1021794 + 37430 = 1059224
3	कच्चा पाल मय तलाई निर्माण मय वेस्टवियर कर छाफ वाल (17/02)	124090

उक्त कार्य को अनुमोदन ग्राम सभा में कोरम के समक्ष किया गया।

प्रस्ताव सं. 2. आज दि. ग्राम सभा में कोरम द्वारा प्रस्ताव लिया गया कि वन क्षेत्र में आने वाली सड़क महेशपुरा से किरी तक का कार्य बन्द पड़ा है चूंकि वन विभाग होने के कारण कार्य बन्द पड़ा है कोरम द्वारा सर्व सम्मति से सड़क निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र प्रारम्भ कराने का प्रस्ताव लिया गया एवं जनता को भी सड़क बनने पर कोई आपत्ति नहीं है प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है

प्रस्ताव सं. 3 कोरम के द्वारा सड़क निर्माण खतरा से खराई का प्रस्ताव लिया गया सड़क वन भूमि में है और वर्तमान में कच्ची है। कोरम द्वारा सड़क निर्माण कार्य

9/10/2014 P.S. Kishanganj

चौथमल

आज दिनांक 9.10.2014 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली सडक नेहरूपुरा से झिरि जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द हैं उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि में सडक निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्व सम्मति से सडक के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवं किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सडक बनाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 2 पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई ।

ओमप्रकाश
सरपंच

सरपंच ग्राम पंचायत
पं०स० किशनगंज
नाहरगढ
पंचायत समिति किशनगंज

सचिव

सचिव ग्राम पंचायत
पं०स० किशनगंज
नाहरगढ
पंचायत समिति किशनगंज

आज दिनांक 31/10/14 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार कमैटी से वन क्षेत्र में पडने वाली सडक नेहरूपुरा से झिरि के लिए प्राप्त प्रस्ताव सं. 2/09.10.2014 जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय कमैटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमैटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है । अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं है । अतः सर्वसम्मति से उक्त सडक को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है ।

31/10/14

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड किशनगंज

रेंजर वन क्षेत्र
~~किशनगंज / केलवाडा~~ /
~~भवंरगढ~~ / नाहरगढ

31.10.14

विकास अधिकारी
पं.स. किशनगंज

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां (राजस्थान)

आज दिनांक 24.11.2014 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक आहूत की गई जिसमें वन क्षैत्र में पड़ने वाली सड़कों के लिये अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 में प्रस्तावित वन भूमि जिसके प्रस्ताव ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों व उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों से इस आशय से प्राप्त हुए है कि इन प्रस्तावित वन भूमियों के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। निम्न प्रस्तावों पर बैठक में विचार किया गया।

इन प्रस्तावों के अवलोकन व परीक्षण करने से पाया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों एंव उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों के प्रस्तावो से यह विदित हो चुका है कि निम्न प्रस्तावित वन भूमियों के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। अतः प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र(फार्म–1) में प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र सं	भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावित भूमि	वनखण्ड सीमा/नाका	प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा (हैक्टर में)	ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक	उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितिं में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक
1	नेहरूपुरा से झिरी सड़क	नाहरगढ	4.00	9.10.2014	31.10.2014
2	एन.एच.76 किमी 537 से धुंवा सड़क	कस्बाथाना	2.55	16.10.2014	30.10.2014
3	ख्यावदा से हरिपुरा सड़क	जलवाडा	0.99	9.10.2014	31.10.2014
4	माधोपुरा से जैतपुरा सड़क	खण्डेला	3.95	16.10.2014	31.10.2014
5	गोरधनपुरा से कालामाटी सड़क	खण्डेला	3.05	16.10.2014	31.10.2014
6	खल्दा से खल्दी सड़क	जलवाडा	0.61	9.10.2014	31.10.2014
7	जलवाड' से किशनपुरा	किशनपुरा	3.00	9.10.2014	31.10.2014
8	गोरधनपुरा से घट्टा सड़क	ढिकोनिया	0.50	2.10.2014	31.10.2014
9	ढिकोनिया से तलावडा सड़क	ढिकोनिया	7.50	5.8.2014	31.10.2014
10	रामगढ़ कालापट्टा सड़क किमी 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा	असनावर	2.00	2.10.2014	31.10.2014
11	करवरी खुर्द से बामनदेह	करवरीकलॉं	4.20	2.10.2014	31.10.2014
12	लकडाई से मामली वाया दुर्जनपुरा सड़क	नाहरगढ	0.995	9.10.2014	31.10.2014
13	खण्डेला से हलावनी सड़क	खण्डेला	2.05	2.10.2014	31.10.2014
14	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सड़क	नाहरगढ़	3.00	9.10.2014	31.10.2014

15	भँवरगढ से रनवासी सड़क	भँवरगढ	2.49	2.10.2014	31.10.2014
16	रनवासी से रनवासा सड़क	भँवरगढ	0.80	2.10.2014	31.10.2014
17	कदीली से लाठखेडा सड़क	किशनपुरा	3.20	9.10.2014	31.10.2014
18	गरड़ा से जैसवा सड़क	छीनोद (खेडली)	3.98	2.10.2014	31.10.2014
19	केदारकुई से सिलोरा सड़क	केलवाडा	2.995	9.10.2014	30.10.2014
20	मामोनी से मोहनपुरा सड़क	बिचीं	2.60	27.5.2014	30.10.2014
21	राजपुर मुण्डियर सड़क(रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी	बिचीं	4.00	27.5.2014	30.10.2014
22	बिचीं से रामपुर उपरेटी सड़क	बिचीं	2.50	27.5.2014	30.10.2014
23	मुण्डियर राजपुर रोड़ से बरारा सड़क	राजपुर	0.55	27.5.2014	30.10.2014
24	केदारकुई से मुहाल सड़क	केलवाडा	7.00	16.10.2014	30.10.2014
25	बीलखेडा डांग से पाटन सड़क	बीलखेडा डांग	1.00	16.10.2014	30.10.2014
26	अपग्रेडेशन कस्बाथाना से बमनगवां	कस्बाथाना	5.20	18.9.2014	30.10.2014

(रामस्वरूप बडगुर्जर)
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पदेन परियोजना अधिकारी–माडा जिला परिषद,बारां

(सुनिल चिद्री)
उप वन संरक्षक
बारां

(ललित कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एंव जिला कलक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति,बारां

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No. 1/2014

Dated 25.11.2014

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights.) Act. 2006 ('FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.00** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Hari Prasad Meena Executive engineer Public Works Department Div.-Shahabad** (name of user agency) for **Construction of Road Work from Nehrupur to Jhiri** (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of **Nehrupur and Jhiri** village(s) in **Kishanganj** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.00** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sbha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (X).

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pro agricultural communities.

Encl. : As above.

(Lalit Kumar Gupta)
Collector & D.M.
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

C:\Users\admin\Desktop\Annexuter-I___II.docx